

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 जून, 2014

सा.का.नि.139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे (इंजीनियरी और वैज्ञानिक समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1992 को, जहां तक इसका संबंध संयुक्त निदेशक, मुख्य अनुसंधान अधिकारी, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे जल संसाधन मंत्रालय में वैज्ञानिक "ई", वैज्ञानिक "डी", वैज्ञानिक "सी", वैज्ञानिक "बी" के रूप में क्रमशः पुनः अभिहित संयुक्त निदेशक, मुख्य अनुसंधान अधिकारी, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

अंतर-सह-ज्येष्ठता और न्यूनतम अर्हक अवधि—

(1) विद्यमान अनुसंधान अधिकारी (इंजीनियरी) और अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक) की अंतर-सह-ज्येष्ठता इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अंतर-सह-ज्येष्ठता, उनकी अपनी-अपनी श्रेणियों में अधिकारियों की नियमित नियुक्ति की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(2) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित नमनीय अनुपूरक स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात नमनीय पूरक स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदों को प्रचालित किया जाएगा और नीचे सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदनामों के साथ उक्त पद सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान में रखेंगे और अगली श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उसके स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट अगली श्रेणी में प्रोन्नति के लिए श्रेणी निष्पादित से सहबद्ध न्यूनतम अर्हक अवधि रखेंगे :-

सारणी

पदनाम	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	अगली श्रेणी में प्रोन्नति के लिए श्रेणी में निष्पादित से सहबद्ध न्यूनतम अर्हक अवधि
1	2	3
वैज्ञानिक "ई"	वेतन बैंड -4 (37400-67000) और ग्रेड वेतन 8700 रुपए	-
वैज्ञानिक "डी"	वेतन बैंड -3 (15600-39100) और ग्रेड वेतन 7600 रुपए	चार वर्ष
वैज्ञानिक "सी"	वेतन बैंड -3 (15600-39100) और ग्रेड वेतन 6600 रुपए	चार वर्ष
वैज्ञानिक "बी"	वेतन बैंड -3 (15600-39100) और ग्रेड वेतन 5400 रुपए	तीन वर्ष

स्वस्थानों प्रोन्नतियों पर विचार करने के लिए मानदंड और नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन चयन या पुनर्विलोकन के लिए प्रक्रिया -

चयन या पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित मानदंड और प्रक्रिया नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन वैज्ञानिक "बी" श्रेणी से वैज्ञानिक "सी", वैज्ञानिक "सी" से वैज्ञानिक "डी" और वैज्ञानिक "डी" से वैज्ञानिक "ई" वैज्ञानिकों की स्वस्थानों प्रोन्नति के लिए अनुसरित की जाएगी, अर्थात्:

(1) दो स्तर के निर्धारण होंगे, पहला स्तर छानबीन प्रयोजनों के लिए आंतरिक स्तर पर होगा और अगला स्तर चयन के लिए बाह्य निर्धारण प्रयोजनों के लिए होगा और इस प्रयोजन के लिए होगा :-

(क) नमनीय पूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए विचार प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई के पूर्व वर्ष में एक बार किया जाएगा और वे अधिकारी जिसका निर्धारण वर्ष के 30 जून तक किया जाना है, पूर्व वर्ष के 31 दिसम्बर तक छह माह की अवधि के दौरान विशिष्ट पद में अपेक्षित अर्हक अवधि पूरा करेंगे, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा और अपेक्षित अर्हक अवधि की अवधारण करने के लिए निर्णायक अवधि वर्ष की 1 जनवरी होगी जिसमें निर्धारण किया जाना है ।

(ख) जहां विदेश सेवा या भारत या बाहर अध्ययन छुट्टी पर पात्र अधिकारी है, वहां उसके मामले पर विचार किया जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को अगली उच्चतर श्रेणी में नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए अनुमोदन किया गया है, ऐसी प्रोन्नति की प्रभावी तारीख केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन में पदभार ग्रहण करने की तारीख से होगी और वित्तीय फायदे उसी तारीख से उद्भूत होंगे और कोई यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता साक्षात्कार में उपस्थित रहने के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(ग) नमनीय पूरक स्कीम के अधीन सभी पात्र अधिकारियों पर उसके अधीन प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा किंतु आपवादिक रूप से सभी उत्कृष्ट ग्रेडिंग वाले मेधावी अभ्यर्थियों को विनिर्दिष्ट अर्हक अवधि में छूट दी जा सकेगी, किसी एकल अवसर पर एक वर्ष से अनधिक छूट उनकी संपूर्ण जीवनवृत्ति में अधिकतम दो अवसरों तक सीमित होगी और अगली श्रेणी के लिए नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन निर्धारण केवल तीन बार होगा और वे अधिकारी जिनको उपांतरित आश्वासित जीविका-वृत्त प्रगति स्कीम के अधीन कोई श्रेणी प्रदान की गई है, उनको इस संबंध में समय-समय पर जारी अधिसूचना आदेशों के द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित पात्रता और उपबंधों के अनुसार नमनीय पूरक स्कीम के अधीन अगली श्रेणी के लिए विचार किया जा सकता है ।

(घ) प्रोन्नत कोई अधिकारी, जो अपने साथ पद वहन करता है और परिणाम स्वरूप कोई रिक्ति निम्नतर स्तर पर नहीं होती है और जहां रिक्ति किसी अधिकारी द्वारा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या पदत्याग या मृत्यु के कारण होती है वहां उसे सीधी भर्ती या प्रोन्नति के लिए रोस्टर के अनुसार वैज्ञानिक “बी” के स्तर पर भरा जाएगा ;

(ङ) अनुसंधान और विकास में क्षेत्रीय अनुभव और नमनीयपूरक स्कीम के अधीन उच्चतर श्रेणियों में वैज्ञानिकों की प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विकास और अनुभव अनिवार्य है ।

(2) उप-नियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट छानबीन समिति द्वारा आंतरिक छानबीन का पहला स्तर पूरा किया जाएगा जो नमनीय पूरक स्कीम के उन्नयन के लिए मानदंड के अनुसार वार्षिक कार्य रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगी और सभी पात्र अधिकारी जो वैज्ञानिक “सी” के लिए “अच्छा”, वैज्ञानिक “डी” के लिए “बहुत अच्छा”, और अधिक के बेंचमार्क पाते हैं, उनकी छानबीन होगी और ऐसे अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की वैज्ञानिक अंतर्वस्तु निर्धारण बोर्ड को उपलब्ध किए जाने के लिए निम्नलिखित फार्मेट में छानबीन समिति द्वारा की जाएगी अर्थात् :-

छानबीन समिति पुनर्विलोकन/रिपोर्ट

1. रिपोर्ट किए गए कार्य के वैज्ञानिक और तकनीकी अंतर्वस्तु का श्रेणीकरण
2. मान्यताप्राप्त नवप्रवर्तन तत्वों को विनिर्दिष्ट करें
 - (क)
 - (ख)
 - (ग)
3. क्षेत्र में बराबर होने के मुकाबले में रिपोर्ट किए गए कार्य का सापेक्ष निर्धारण
(शिखर 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, निचला 25%)
4. अर्हक अवधि के दौरान किए गए कार्य का निर्धारण
5. किए गए कार्य की वैज्ञानिक और तकनीकी अंतर्वस्तु की मुख्य बातें विनिर्दिष्ट करें
6. अर्हक अवधि के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य का समस्त श्रेणीकरण
(शिखर 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, निचला 25%)

“छानबीन समिति में सदस्यों के हस्ताक्षर”

(3) उप-नियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राधिकारी (छानबीन), छानबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए सभी मामलों पर विचार करेगा और उसी का अनुमोदन करेगा और यदि यह विनिश्चित होता है कि कोई अधिकारी निर्धारण बोर्ड द्वारा प्रोन्नति के लिए अर्हित नहीं होता है तो उसका मामला इसमें विचार करने के लिए एक वर्ष पश्चात छानबीन समिति के समक्ष रखा जाएगा और उप-नियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट छानबीन के लिए प्रक्रिया का पुनः पालन किया जाएगा।

(6) बाह्य निर्धारण के दूसरे स्तर के प्रयोजनों के लिए -

(क) स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए, सभी अधिकारी जिनकी छानबीन की गई है और छानबीन समिति द्वारा सिफारिश की गई है और अनुमोदन प्राधिकारी (छानबीन) द्वारा अनुमोदन किया गया है, उनका उप-नियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट निर्धारण बोर्ड द्वारा निर्धारण किया जाएगा ;

(ख) निर्धारण बोर्ड, प्रत्येक अधिकारी का उनके कार्य के निबंधनों में कार्य का मूल्यांकन करेगा और उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हेतु उसकी उपयुक्तता की सिफारिश करेगा और उक्त बोर्ड विचारणाधीन अवधि के दौरान प्रत्येक अधिकारी के कार्य से अलग उसकी वृत्तिक के अनुसरण में ऐसे अधिकारी द्वारा दर्शित उत्सुकता और अधिक दायित्व लेने की क्षमता जिसमें वैज्ञानिक क्रियाकलाप और सेवाएं तथा विकास क्षमताएं प्रबंधकीय या नेतृत्व गुण को भी ध्यान में रखेगा।

(ग) निर्धारण बोर्ड, प्रत्येक अधिकारी के कार्य और योग्यता पर विचार करने के पश्चात नमनीय पूरक स्कीम के अधीन विचार के लिए उनकी योग्यता में न्यायोचित किए गए कार्य की विनिर्दिष्ट अंतर्वस्तु को एक पृष्ठ सारांश का दस्तावेज रखेगा और प्रमाणित करेगा कि इस प्रकार सिफारिश किया गया अधिकारी नमनीय पूरक स्कीम में अधीन स्वस्थाने उन्नयन के लिए मानदंड पूरा करते हैं।

(7) निर्धारण के आधार पर निर्धारण बोर्ड निम्नलिखित में से किसी एक की सिफारिश करेगा :

(i) अगली उच्चतर श्रेणी में अधिकारी की प्रोन्नति ; या

(ii) यथास्थिति - अर्थात् श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं ;

(ग) उन अधिकारियों के मामले का पुनर्विलोकन जिनकी निर्धारण बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, सिफारिश की गई है, एक वर्ष की अवधि के पश्चात छानबीन समिति द्वारा पुनः सिफारिश की जाएगी और उप-नियम (2) से उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पुनः पालन किया जाएगा। (5) निर्धारण बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें उप-नियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राधिकारी (निर्धारण) द्वारा विचार किया जाएगा और प्रत्येक मामले में इसका विनिश्चय अंतिम होगा।

6. छानबीन समिति अनुमोदन प्राधिकारी (छानबीन) निर्धारण बोर्ड और अनुमोदन प्राधिकरण (निर्धारण) की संरचना नीचे सारणी में दी गई है :-

सारणी

क्र.संख्या	श्रेणी जिसमें प्रोन्नति की जाएगी	छानबीन समिति	अनुमोदन प्राधिकारी (छानबीन)	निर्धारण बोर्ड	अनुमोदन प्राधिकारी (निर्धारण)
1	2	3	4	5	6
1	वैज्ञानिक “डी” से वैज्ञानिक “ई”	छानबीन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात् 1.संयुक्त सचिव या आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली - अध्यक्ष	अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	निर्धारण बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा 1.अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष	जल संसाधन मंत्रालय का भारसाधक मंत्री

3	5
<p>2. निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र - सदस्य</p> <p>3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के किसी संगठन से एक प्रतिनिधि या अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग से कोई प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नाम विनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य</p>	<p>2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, या अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली - सदस्य</p> <p>3. निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र पुणे - सदस्य</p> <p>4. इंजीनियरी या वैज्ञानिक क्षेत्र में से तीन विशेषज्ञ (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नाम विनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य</p>

सारणी

क्र.संख्या	श्रेणी जिसमें प्रोन्नति की जाएगी	छानबीन समिति	अनुमोदन प्राधिकारी (छानबीन)	निर्धारण बोर्ड	अनुमोदन प्राधिकारी (निर्धारण)
1	2	3	4	5	6
2	वैज्ञानिक "सी" से वैज्ञानिक "डी"	<p>छानबीन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात्</p> <p>1. संयुक्त सचिव या आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली - अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र - सदस्य</p> <p>3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के किसी संगठन से एक प्रतिनिधि या अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग से कोई प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नाम विनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य</p>	अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	<p>निर्धारण बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा</p> <p>1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, या अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली - सदस्य</p> <p>3. निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र पुणे - सदस्य</p> <p>4. इंजीनियरी या वैज्ञानिक क्षेत्र में से तीन विशेषज्ञ (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नाम विनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य</p>	जल संसाधन मंत्रालय का भारसाधक मंत्री

सारणी

क्र.संख्या	श्रेणी जिसमें प्रोन्नति की जाएगी	छानबीन समिति	अनुमोदन प्राधिकारी (छानबीन)	निर्धारण बोर्ड	अनुमोदन प्राधिकारी (निर्धारण)
1	2	3	4	5	6
3	वैज्ञानिक "बी" से वैज्ञानिक "सी"	छानबीन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात् 1.संयुक्त सचिव या आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र - सदस्य 3.विज्ञान और प्रौद्योगिकी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के किसी संगठन से एक प्रतिनिधि या अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग से कोई प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नाम विनिर्दिष्ट किया जाए) -सदस्य	अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष निर्धारण बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा 1.अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, या अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली -सदस्य 3. निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र पुणे -सदस्य 4. इंजीनियरी या वैज्ञानिक क्षेत्र में से तीन विशेषज्ञ (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नाम विनिर्दिष्ट किया जाए) -सदस्य	जल संसाधन मंत्रालय का भारसाधक मंत्री

6. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि :- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य विषय वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए नमनीय पूरक स्कीम नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वैज्ञानिक "सी", वैज्ञानिक "डी" और वैज्ञानिक "ई" की श्रेणियों में विभागीय अधिकारियों की बाबत अनुसरित की जाएगी और बिना किसी निर्बंधन के अनुसूची में उल्लेखित प्रत्येक प्रवर्ग के भीतर संपूर्ण अंतर्बद्ध होगा सिवाय इसके उक्त पदाधिकारियों की कुल संख्या अनुमोदित पदों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(3) नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नतियां उस कारण निम्नतर श्रेणी में विनिर्दिष्ट रिक्त के परिणामस्वरूप संबद्ध अधिकारी के लिए व्यक्तिक होगी और संबंधित अधिकारी द्वारा धारित चालू पद को प्रोन्नत पद में उसके रुकने के दौरान उन्नत किया जाएगा और पद मूल स्तर पर प्रत्यावर्तित होगा जब अधिकारी उच्चतर पद को रिक्त कर देता है ।

(4) नमनीयपूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए पात्र पाए उन अधिकारियों की प्रोन्नति की प्रभावी तारीख अनुमोदन प्राधिकारी (निर्धारण) द्वारा उनकी प्रोन्नति के अनुमोदन की तारीख होगी और किसी भी दशा में भूतलक्षी प्रोन्नति अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(5) वे अधिकारी जो छुट्टी पर बाहर हैं उन्हें उस तारीख से ही उच्चतर वेतन मान में वेतन के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जिस तारीख को पीछे तैनात होते हैं और उच्चतर पद में कर्तव्यों को धारित करते हैं।

(6) वे अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर बाहर हैं, उन्हें उस तारीख से प्रोन्नति दी जाएगी जिसको वे संप्रत्यावर्तित होते हैं और केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र में पदभार ग्रहण करते हैं किंतु प्रोकार्या प्रोन्नति लागू नहीं होगी।

(7) वे अधिकारी जो छुट्टी या प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के कारणों से निर्धारण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(8) वे अधिकारी जिनको धारणाधिकार रखने के साथ तकनीकी त्यागपत्र लेने के लिए अनुज्ञात किया जाता है उनको उस तारीख से ही प्रोन्नत किया जाएगा जिसको वह केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान में वापस पदभार ग्रहण करते हैं।

(9) छानबीन समिति केवल उन अधिकारियों की अभ्यर्थिता पर विचार करेगी जो पूर्वोक्त अनुसूची में यथारूप से अधिकथित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और स्वविवेक, नमनीय पूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए अधिकारियों के किसी प्रवर्ग हेतु उक्त पात्रता शर्तों में छूट हेतु पूर्वोक्त पात्र शर्तों में शिथिलता के लिए किसी प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं होगी और वे अधिकारी जो पात्रता शर्तों की अपेक्षा को पूरा नहीं करते हैं, वे इस आधार पर कि उनका कनिष्ठ जो अपेक्षा पूरी करता है, उस पर विचार किया जा रहा है, नमनीय पूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए विचार नहीं किये जाने का पात्र होगा।

(10) किसी अन्य वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर व्यतीत अवधि जो अधिकारी को वैज्ञानिक अनुभव या क्षेत्रीय अनुभव प्राप्त करने में सहायता करती है और केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियम) 1972 के अनुसार अनुमोदित शैक्षणिक कार्यों में सुधार के लिए ली गई अध्ययन छुट्टी या कोई अन्य छुट्टी की अवधि मातृत्व अवकाश, उक्त छुट्टी नियमों में अनुसार मातृत्व अवकाश को निरंतरता में एक वर्ष की अधिकतम अवधि की छुट्टी, एक समय केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियम) 1972 के अधीन सीमांत 180 दिन से अधिक अवधि में लिए अनुमोदित अर्जित अवकाश की अर्हक अवधि के रूप में गणना की जाएगी किंतु गैर-वैज्ञानिक पदों पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर व्यतीत अवधि या और छुट्टी की अवधि जिसमें चिकित्सीय आधार पर छुट्टी, वैयक्तिक आधारों पर ली गई है, उसे अर्हक अवधि के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।

7. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वैज्ञानिक 'बी'	165* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, (15600-39100). रु + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन पद	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

(6)

टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी में बेचलर डिग्री ;

(ii) सुसंगत क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुसंधान अनुभव ।

टिप्पण 1 : शैक्षिक अर्हताएं में सुसंगत शाखा (एँ) और वे क्षेत्र जिसमें सुसंगत शाखा अनुसंधान अनुमत अपेक्षित हो, भर्ती के समय अपेक्षा के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

टिप्पण 2 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 3 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

- (i) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नत द्वारा
(ii) पचहत्तर प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा

प्रोन्नत : वेतन बैंड 2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4800 रु. में ऐसा सहायक अनुसंधान अधिकारी जिसने नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण : 1 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव या आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य
3. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. संयुक्त सचिव या आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय —अध्यक्ष
2. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य
3. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक 'सी'	लागू नहीं होता क्योंकि पद नमनीय पूरक स्कीम के अधीन प्रचालित हो रहा है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, (15600-39100 रु.) + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	(10)		(11)		

नमनीय अनुपूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा

नमनीय पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नत :

वेतन बैंड 3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु. में ऐसा वैज्ञानिक 'बी' जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से प्राकृतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री रखता है।

टिप्पण : 1 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई जाएगी।

सेवा समझी

(12)	(13)
निर्धारण बोर्ड :-	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष	
2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय या अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली —सदस्य	
3. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे—सदस्य	
4. संघ लोक सेवा आयोग से नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इंजीनियरी या वैज्ञानिक क्षेत्र से तीन विशेषज्ञ —सदस्य	

(12)

छानबीन समिति :—

1. संयुक्त सचिव या आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय,
नई दिल्ली —अध्यक्ष
2. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य
3. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अंतरिक्ष विभाग
या परमाणु ऊर्जा विभाग से एक प्रतिनिधि जो संयुक्त
सचिव के पद से नीचे का न हो —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वैज्ञानिक 'डी'	लागू नहीं होता क्योंकि पद नमनीय पूरक स्कीम के अधीन प्रचालित हो रहा है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, (15600-39100 रु.) + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	(10)		(11)		

नमनीय पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा

नमनीय पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति :

वेतन बैंड 3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 6600 रु. में ऐसा वैज्ञानिक 'सी' जिसने नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण : 1 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)

निर्धारण बोर्ड :-

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय या अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली —सदस्य
3. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे—सदस्य
4. संघ लोक सेवा आयोग से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले इंजीनियरी या वैज्ञानिक क्षेत्र से तीन विशेषज्ञ —सदस्य

छानबीन समिति :-

1. संयुक्त सचिव या आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली —अध्यक्ष
2. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य
3. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग से एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो —सदस्य

(13)

पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वैज्ञानिक 'ई'	लागू नहीं होता क्योंकि पद नमनीय पूरक स्कीम के अधीन प्रचालित हो रहा है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, (37400-67000 रु.) + ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	(10)		(11)		

नमनीय पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा

नमनीय पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति :

वेतन बैंड 3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 7600 रु. में ऐसा वैज्ञानिक 'डी' जिसने नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(11)

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

निर्धारण बोर्ड :-

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय या अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली —सदस्य
3. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे—सदस्य
4. संघ लोक सेवा आयोग से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले इंजीनियरी या वैज्ञानिक क्षेत्र से तीन विशेषज्ञ —सदस्य

छानबीन समिति :—

1. संयुक्त सचिव या आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली —अध्यक्ष
2. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य
3. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग से एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो —सदस्य

(13)

पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 2/9/99-ई-II]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 18th June, 2014

G..S.R.139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune (Engineering and Scientific Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1982, in so far as they relate to the posts of Joint Director, Chief Research Officer, Senior Research Officer and Research Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the posts of Joint Director, Chief Research Officer, Senior Research Officer and Research Officer, respectively re-designed as Scientist 'E', Scientist 'D', Scientist 'C and Scientist 'B', in the Central Water and Power Research Station, Pune, Ministry of Water Resources, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .- The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall, save as provided in rule 6, be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Inter-se-seniority and minimum qualifying period.-

(1) The inter-se-seniority of the existing Research Officers (Engineering) and Research Officers (Scientific) shall be determined in accordance with the date of regular appointment of officers to the respective grades subject to the condition that the inter-se-seniority shall not be disturbed within their respective grades.

(2) The posts mentioned in column (1) of the Schedule shall be operated under Flexible Complementing Scheme notified by Department of Personnel and Training and as amended from time to time (hereinafter referred to as the Flexible Complementing Scheme) and the said posts with designations as specified in column (1) of the table below shall carry the pay band and grade pay or pay scale as specified in column (2) of said table and shall have the minimum qualifying period linked to performance in a grade for promotion to the next grade as specified in column (3) thereof, for promotion to the next grade:-

TABLE

Designation	Pay band and grade pay or Pay Scale	Minimum qualifying period linked to performance in the grade for promotion to the next grade
(1)	(2)	(3)
Scientist 'E'	Pay band-4 (Rs.37400-67000) and grade pay Rs.8700	---
Scientist 'D'	Pay band-3 (Rs.15600-39100) and grade pay Rs.7600	Four years
Scientist 'C'	Pay band-3 (Rs.15600-39100) and grade Pay Rs. 6600	Four years
Scientist 'B'	Pay band-3 (Rs.15600-39100) and grade pay Rs.5400	Three years

5. Criteria for considering in-situ promotions and procedure for selection or review under the Flexible Complementing Scheme.-The following criteria and procedure for selection or review shall be followed for in-situ promotion of scientists from the grade of Scientist 'B' to Scientist 'C', Scientist 'C' to Scientist 'D' and Scientist 'D' to Scientist 'E' under the Flexible Complementing Scheme, namely:-

(1) There shall be two level of assessment, the first level shall be at internal level for screening purposes and the next level shall be for external assessment purposes for selection and for this purpose,-

(a) consideration for promotion under the Flexible Complementing Scheme shall be done once in a year before 1st January of every year and those officers who have completed or shall complete the required qualifying period in a particular post during the period of six months upto 31st December of the year preceding the year in which assessment is to be done and upto 30th June of the year in which the said assessment is to be done, shall be considered for promotion to the next higher grade and the crucial date for determining requisite qualifying period shall be the 1st January of the year in which assessment is to be done;

(b) where an eligible officer is on foreign service or study leave in India or abroad, his or her case shall be considered and if such person has been approved for in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme to the next higher grade, the effective date of such promotion shall be from the date of resumption of duty in the Central Water and Power Research Station and financial benefit shall accrue from the same date and no travelling allowance or dearness allowance shall be provided to attend the interview;

(c) all officers eligible under the Flexible Complementing Scheme shall be considered for promotion thereunder, but exceptionally meritorious candidates with all outstanding grading may be granted relaxation in the specified qualifying period, the relaxation being not more than one year on any single occasion, limited to a maximum of two occasions in their entire career and the assessment under the Flexible Complementing Scheme for next grade shall only be three times and officers who have been granted any grade under Modified Assured Career Progression Scheme may be considered for next

grade under Flexible Complementing Scheme according to the eligibility and provisions notified by the Department of Personnel and Training vide their notification and orders issued from time to time in this regard;

(d) an officer promoted carries the post with him and consequently no vacancy is caused at the lower level and where a vacancy is caused due to an officer vacating a post by retirement on superannuation or voluntary retirement or resignation or death, the same shall be filled in at the level of Scientist 'B' in accordance with the roster for direct recruitment or promotion;

(e) field experience in research and development and experience in implementation of scientific projects is compulsory for promotion of scientists to higher grades under the Flexible Complementing Scheme.

(2) The First level of Internal Screening shall be done by the screening committee specified in column (3) of the table under sub-rule (6), which shall evaluate the annual work reports in accordance with the criteria for upgradation under the Flexible Complementing Scheme and all eligible officers who meet with the benchmark of 'Good' for Scientist 'C,' Very Good' for Scientist 'D' and above shall be screened in and a report on the scientific content of work done by such officers shall be given by the Screening Committee in the following format for being made available to the Assessment Board, namely :-

Screening Committee Review/Report

1. Grading of the Scientific and Technical content of work reported

2. Specific Innovation elements recognised

a)

b)

c)

3. Relative Assessment of the work reported vis-a-vis Peers in the area:

[Top 10% 10-33% 33-50% 50-75% bottom 25%]

4. Assessment of the work done during the qualifying period

5. Specific highlights of the Scientific and Technical content of the work done

6. Overall grading of the Scientific and Technical work report for the qualifying period:

[Top 10% 10-33% 33-50% 50-75% bottom 25%]

“Signatures of the Members of the Screening Committee”

(3) The Approving Authority (Screening), specified in column (4) of the table under sub-rule (6), shall consider all cases recommended by the Screening Committee and approve the same and in case it decides that any officer does not qualify for consideration for promotion by the Assessment Board, his or her case shall be placed before the Screening Committee after one year for its consideration and the procedure for Screening as specified in sub-rule (2) shall be followed again.

(4) For the purposes of second level of external assessment,-

(a) for evaluating suitability of officers for in-situ promotion; all officers who have been screened-in and recommended by the screening committee and approved by the Approving Authority (Screening) shall be assessed by the Assessment Board specified in column (5) of the table under sub-rule (6);

(b) the Assessment Board shall evaluate the accomplishments of each officer in terms of their work and recommend his or her suitability for promotion to the higher grade and the said Board shall, apart from the accomplishments of such officer during the period under consideration, also keep in mind the keenness exhibited by such officer in the pursuit of his or her profession and ability to take up higher responsibilities including scientific activities and services and development capabilities, managerial or leadership qualities;

(c) The Assessment Board shall, after taking into consideration the performance and merit of each officer, document, specifically through one page summary, the specific content of the work done justifying their merit for consideration under the Flexible Complementing Scheme and certify that the officers so recommended meet with the criteria for in situ up-gradation under the flexible Complementing Scheme;

(d) on the basis of its assessment, the Assessment Board may recommend any one of the following:-

(i) Promotion of the Officer to the next higher grade; or

(ii) Status quo-i.e. no change in the grade;

(c) Review of cases of those officers who have been recommended status quo by the Assessment Board shall again be considered by the Screening Committee after a period of one year and the procedure specified in sub-rules # (2) to (4) shall be followed again.

(5) The recommendations made by the Assessment Board shall be considered by the Approving Authority (Assessment) specified in column (6) of the table under sub-rule (6) and its decision on each case shall be final.

(6) The Composition of Screening Committee, Approving Authority (Screening), Assessment Board and the Approving Authority (Assessment), shall be as given in the table below : -

TABLE

Sl. No.	Grade to which promotions shall be made.	Screening Committee	Approving Authority (Screening)	Assessment Board	Approving Authority (Assessment)
1	2	3	4	5	6
1.	Scientist 'D' to Scientist 'E'	The Screening Committee shall consist of the following members, namely :- 1. Joint Secretary or Commissioner, Ministry of Water Resources, New Delhi-Chairman. 2. Director, Central Water and Power Research Station, Pune- Member. 3. A representative from any organization of Government of India in the field of Science and technology Defence Research and Development Organization or Department of Space or Department of	Additional Secretary, Ministry of Water Resources	The Assessment Board shall consist of the following members, namely:- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission-Chairman; 2. Secretary, Ministry of Water Resources or Chairman, Central Water Commission, New Delhi - Member; 3. Director, Central Water and Power Research Station, Pune- Member; 4. Three experts in the Engineering or Scientific field (to be nominated by Union Public Service Commission). - Members	Minister-in-charge, Ministry of Water Resources

2

Atomic Energy not below the rank of Joint Secretary (to be nominated by the Ministry of Water Resources) - Member.

Sl. No.	Grade to which promotions shall be made.	Screening Committee	Approving Authority (Screening)	Assessment Board	Approving Authority (Assessment)
1	2	3	4	5	6
2.	Scientist 'C' to Scientist 'D'	<p>The Screening Committee shall consist of the following members, namely :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary or Commissioner, Ministry of Water Resources, New Delhi-Chairman. 2. Director, Central Water and Power Research Station, Pune- Member. 3. A representative from any organization of Government of India in the field of Science and technology Defence Research and Development Organization or Department of Space or Department of Atomic Energy not below the rank of Joint Secretary (to be nominated by the Ministry of Water Resources) - Member. 	<p>Additional Secretary, Ministry of Water Resources</p>	<p>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman;</p> <p>2. Secretary, Ministry of Water Resources or Chairman Central Water Commission, New Delhi - Member;</p> <p>3. Director, Central Water and Power Research Station, Pune- Member;</p> <p>4. Three experts in the Engineering or Scientific field (to be nominated by Union Public Service Commission). - Members ·</p>	<p>Minister-in-charge, Ministry of Water Resources</p>

Sl. No.	Grade to which promotions shall be made.	Screening Committee	Approving Authority (Screening)	Assessment Board	Approving Authority (Assessment)
1	2	3	4	5	6
3.	Scientist 'D' to Scientist 'C'	The Screening Committee shall consist of the following members, namely :- 1. Joint Secretary or Commissioner, Ministry of Water Resources, New Delhi-Chairman. 2. Director, Central Water and Power Research Station, Pune- Member. 3. A representative from any organization of Government of India in the field of Science and Technology or Defence Research and Development Organization or Department of Space or Department of Atomic Energy not below the rank of Joint Secretary (to be nominated by the Ministry of Water Resources) - Member.	Additional Secretary, Ministry of Water Resources	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman; 2. Secretary, Ministry of Water Resources or Chairman Central Water Commission, New Delhi - Member; 3. Director, Central Water and Power Research Station, Pune- Member; 4. Three experts in the Engineering or Scientific field (to be nominated by Union Public Service Commission). - Members .	Minister-in-charge, Ministry of Water Resources

6. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—(1) The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

(2) The Flexible Complementing Scheme for in-situ promotion, shall be followed in respect of departmental officers to the grades of Scientist 'C', Scientist 'D', and Scientist 'E' in accordance with the procedure specified in rule 5 and there shall be complete interchangeability within each category mentioned in the Schedule without any restriction except that the total number of incumbents shall not exceed the total number of sanctioned posts.

(3) In-situ Promotions under the Flexible Complementing Scheme shall be personal to the officer concerned not resulting in specific vacancy in the lower grade on that account and the post being currently held by the concerned officer shall be upgraded for the duration of his or her stay in the promotion post and the post shall revert to the original level once the officer vacates the higher post.

(4) The effective date of promotion of those officers found eligible for promotion under the Flexible Complementing Scheme shall be the date of approval of their promotion by the Approving Authority (Assessment) and retrospective promotion shall not be admissible in any case.

(5) The officers who are away on leave shall be allowed pay in the higher pay scale only from the date they join back and assume the duties of the higher post.

(6) The officers who are away on deputation shall be given promotion with effect from the date they repatriate and join in the Central Water and Power Research Station but proforma promotion shall not apply.

(7) The officers who fail to appear physically for the assessment for reasons of leave or deputation or foreign service shall not be eligible for promotion.

(8) The officers who have been allowed to take technical resignation with retention of lien shall be promoted only with effect from the date they join back in the Central Water and Power Research Station.

(9) The Screening Committee shall consider the candidature of only those officers who fulfill all the eligibility conditions as laid down in the aforesaid Schedule and discretion shall not be available with any authority for relaxing the said eligibility conditions for any category of officers for promotions under Flexible Complementing Scheme and the officer who does not fulfill the requisite eligibility conditions shall not be entitled to be considered for promotion under Flexible Complementing Scheme on the ground that his junior who fulfils the requirement is being considered.

(10) The period spent on deputation or foreign service to another scientific post which helps the officer to acquire scientific experience or filed experience and period of study leave or any other leave availed for improving academic accomplishments, maternity leave sanctioned as per Central Civil Services(Leave Rules), 1972, leave of a maximum period of one year sanctioned in continuation of maternity leave as per said leave rules, earned leave sanctioned for a period not exceeding 180 days at a time (the ceiling under Central Civil Services(Leave Rules), 1972) shall count as qualifying period for promotion but periods spent on deputation or foreign service to non-scientific posts and period of leave including leave on medical grounds, extraordinary leave availed on personal grounds shall not count towards qualifying period.

7. Disqualification.- No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Scientist 'B'	165* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-3, (Rs. 15600—39100) and grade pay of Rs. 5400	Selection Post	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

(6)

Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date prescribed for applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)

Essential:

(i) Master's Degree in Natural Science or Bachelor's Degree in Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute; and

(ii) having at least three years research experience in the relevant field.

Note 1: The relevant discipline (s) in educational qualifications and areas in which research experience is required shall be specified according to the requirement at the time of recruitment.

Note 2: The qualification(s) are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The qualification(s) are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(10)

(11)

- (i) Twenty five per cent by promotion
(ii) Seventy five per cent by direct recruitment.

Promotion :

Assistant Research Officer in pay band-2 (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs. 4800 with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman.
2. Joint Secretary or Commissioner, Ministry of Water Resources —Member.
3. Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Member.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:

1. Joint Secretary or Commissioner, Ministry of Water Resources —Chairman.
2. Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Member.
3. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientist 'C'	Not applicable as the post is operating under Flexible Complementing Scheme	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15600—39100) and grade pay of Rs. 6600	Selection Post	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		
	By in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme		In-situ promotion under Flexible Complementing Scheme : Scientists 'B' in pay band-3 (Rs. 15600-39100) and grad pay of Rs. 5400 with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing Master's degree in Natural Science or Bachelor's Degree in Engineering or Technology from a recognised University or equivalent. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.		
	(12)		(13)		
	Board of Assessment :		Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up of post.		
	1. Chairman or Member of Union Public Service Commission	—Chairman.			
	2. Secretary, Ministry of Water Resources/ Chairman, Central Power Commission, New Delhi	—Member.			
	3. Director, Central Water and Power Research Station, Pune	—Member.			

(12)

4. Three experts in the Engineering or Scientific field to be nominated by Union Public Service Commission

—Members.

Screening Committee :

1. Joint Secretary or Commissioner, Ministry of Water Resources, New Delhi —Chairman.
2. Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Member.
3. A representative from Defence Research and Development Organization or Department of Space or Department of Atomic Energy, not below the rank of joint Secretary —Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Scientist 'D'	Not applicable as the post is operating under Flexible Complementing Scheme	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15600—39100) with grade pay of Rs. 7600	Selection Post	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme	In-situ promotion under Flexible Complementing Scheme : Scientists 'C' in pay band-3 (Rs. 15600-39100) and grad pay of Rs. 6600 with four years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis .

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

(12)	(13)
Board of Assessment :	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up of post.
1. Chairman or Member of Union Public Service Commission	—Chairman.
2. Secretary, Ministry of Water Resources or Chairman, Central Water Commission, New Delhi	—Member.
3. Director, Central Water and Power Research Station, Pune	—Member.
4. Three experts in the Engineering or Scientific field to be nominated by Union Public Service Commission	—Members.

Screening Committee :

1. Joint Secretary or Commissioner, Ministry of Water Resources, New Delhi	—Chairman.
2. Director, Central Water and Power Research Station, Pune	—Member.
3. A representative from Defence Research and Development Organization or Department of Space or Department of Atomic Energy, not below the rank of joint Secretary	—Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Scientist 'E'	Not applicable as the post is operating under Flexible Complementing Scheme.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-4, (Rs. 37400—67000) and grade pay of Rs. 8700	Selection Post	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme	In-situ promotion under Flexible Complementing Scheme : Scientists 'D' in pay band-3 (Rs. 15600-39100) and grad pay of Rs. 7600 with four years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis . Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along

(11)

with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

(12)

(13)

Board of Assessment :

Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

1. Chairman or Member of Union Public Service Commission —Chairman.
2. Secretary, Ministry of Water Resources or Chairman, Central Water Commission, New Delhi —Member;
3. Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Member;
4. Three experts in the Engineering or Scientific field to be nominated by Union Public Service Commission —Members.

Screening Committee :

1. Joint Secretary/Commissioner, Ministry of Water Resources, New Delhi —Chairman;
2. Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Member.;
3. A representative from Defence Research and Development Organization or Department of Space or Department of Atomic Energy, not below the rank of joint Secretary —Member.

[F. No. 2/9/99-E.II]

S. K. KATARIA, Under Secy.